न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 42 / 2022

श्री ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी बिजैशिया मौहल्ला कस्वा नगर तहसील व थाना नगर जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डअधिकारी नगर

............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

——————

आदेश **दिनांक 29.06.2022**

अपीलार्थी श्री ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी बिजैशिया मौहल्ला कस्वा नगर तहसील व थाना नगर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर के खिलाफ सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.4.22 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना चाही गई थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर से रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/आरटीआई/2022/956 दिनांक 20.6.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त के जबाब एवं उसके साथ प्राप्त प्रति पत्र क्रमांक/ आरटीआई /2022/914 दिनांक 23.5.2022 अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध सूचना शुल्क जमा कराये जाने हेतु लिखा गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा चाही

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

सूचना शुल्क जमा नही कराकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को चाहिये कि वे वांछित सूचना शुल्क नियमानुसार जमा कराकर सूचना प्राप्त करें। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट (एस.डी.ओ.नगर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंगन कर) एवं लोक सूचना अधिकारी को प्रेपित की जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर